जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नगीना देहात **दिनांक – 07.07.2025**

थाना नगीना देहात पुलिस ने मु0अ0सं0 166/25 धारा 304 बीएनएस मे वांछित अभियुक्ता को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 06.07.2025 को वादिया ने थाना नगीना देहात पर तहरीर दी कि वह ग्राम कोटकादर के मेले मे आई थी जहां पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादिया के गले से सोने की चैन खींच ली गई । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नगीना देहात पर मु0अ0सं0 166/25 धारा 304 बीएनएस पंजीकृत किया गया । अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियुक्ता चमन उर्फ सुमन पत्नी जगदीश निवासी ग्राम सुल्तान ठेर थाना गजरौला जनपद अमरोहा का नाम प्रकाश मे आया।

कार्यवाही –

आज दिनांक 07.07.2025 को थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्ता चमन उर्फ सुमन पत्नी जगदीश निवासी ग्राम सुल्तान ठेर थाना गजरौला जनपद अमरोहा को उपरोक्त अभियोग से संबंधित पीली धातु की गले की चैन सहित गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियोग मे धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता –

चमन उर्फ सुमन पत्नी जगदीश निवासी ग्राम सुल्तान ठेर थाना गजरौला जनपद अमरोहा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 दीपक कुमार थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।
2. मुख्य आरक्षी सुनील मलिक थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।
3. महिला मुख्य आरक्षी मोनिका थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।
4. आरक्षी आशीष धामा थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट– थाना चांदपुर **दिनॉक 07.07.2025**

थाना चांदपुर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 287/25 धारा 115(2)/109(1) बीएनएस व 3(2)(5) एस0सी0,एस0टी0 एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 18.05.2025 को वादी श्री खेमचन्द पुत्र गोपाल सिंह निवासी ग्राम बीवीपुरा कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.नीरज पुत्र चरन सिंह 2.विमल पुत्र अमर सिंह 3.सौरभ पुत्र पप्पू सिंह 4.नन्हे पुत्र मान सिंह द्वारा वादी के पुत्र ईश्वर प्रसाद को जाति सूचक शब्दो द्वारा सम्बोधित करना, विरोध करने पर जान से मारने की नियत से धारदार हथियार व लोहे की रॉड से मारपीट की। तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 287/25 धारा 115(2)/109(1) बीएनएस व 3(2)(5) एससी,एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में अभियोग में गौरव पुत्र रोहताश निवासी ग्राम बास्टा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया।

कार्यवाही–

आज दिनांक 07.07.2025 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त गौरव पुत्र रोहताश निवासी ग्राम बास्टा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1.गौरव पुत्र रोहताश निवासी ग्राम बास्टा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1.उ0नि0 संदीप पंवार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

2.आरक्षी 2487 शैलेन्द्र कान्त थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

3.आरक्षी 1191 विनय कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर **दिनांक – 07.07.2025**

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने मु0अ0सं0 584/25 धारा 109(1) / 3(5) / 352 / 351(2) / 191(2) / 126(2) बीएनएस से सम्बंधित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

घटना / कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 06.07.2025 को रात्रि करीब 22:30 बजे BIC इंटर कॉलेज के पास खालिद पुत्र ताहिर निवासी मछली बाजार थाना कोतवाली शहर बिजनौर सड़क पर अपनी स्कार्पियो कार को पीछे कर रहा था, तभी नूरपुर रोड की ओर से रोबिन चौधरी अपने 4 साथियो के साथ अपनी स्कार्पियो कार से आ रहे थे । खालिद की कार बैक होने से सड़क पर दूसरी गाड़ियां ख़डी हो गई, जिस पर रोबिन व खालिद के बीच कहासुनी हुई तथा खालिद ने रोबिन के साथी तुषार को थप्पड़ मार दिया ।

रोबिन की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 584/25 धारा 109(1) / 3(5) / 352 / 351(2) / 191(2) / 126(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया है ।

सूचना पर तत्काल थाना कोतवाली शहर पुलिस मौक़े पर पहुंच गई व खालिद की स्कॉर्पियो कार व चालक (जो खालिद का बेटा अबद्दुल्ला चला रहा था) को हिरासत मे ले लिया है । खालिद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है । आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.खालिद पुत्र ताहिर निवासी मछली बाजार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

2.अब्दुल्ला पुत्र ताहिर निवासी मछली बाजार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

स्कार्पियो गाडी नं0 UP20CK7849

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

थाना कोतवाली शहर पुलिस